>

Title: Need to suspend the execution of order pertaining to vacation of land declared as defence land near cantonment area in Aurangabad parliamentary constituency, Maharashtra.

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद महाराष्र्ट मे मिलिटरी छावनी के पास 11 एकड़ जमीन पर चार पूर्वजों से यहां पर ईसाई संप्रदाय के लोग रहते हैं एवं इसी भूमि पर चर्च, चर्च गर्ल्स होस्टल, क्रिस्चियन चर्च हाई स्कूल, क्रिस्चियन प्राईमरी स्कूल भी है। हाल ही में छावनी परिषद ने इनकी जमीन को छावनी की जमीन घोषित किया है परंतु दस्तावेज के आधार पर यह जमीन 1875 से नासिक डायोसेसिन काउंसिल पी टी आर डी 2 की थी जिसे क्रिस्चियन मिशनरी ट्रस्ट को 1924 में सौंप दिया है। खेद की बात है कि सूखे की हालत में इस जमीन के सभी लोगों को 2 मई 2013 तक जमीन छोड़ने के लिए मिलिटरी प्रशासन द्वारा कह दिया गया है उसके बाद इस जमीन पर सभी स्कूलों, चर्च एवं ईसाई समुदाय के लोगों के घर को गिरा दिया जायेगा। जैसा कि सदन जानता है कि महाराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा है एवं मराठवाड़ा में पांच दिनों में एक दिन पानी मिल रहा है ऐसी स्थिति में इनके परिवार के साथ काफी ज्यादती होगी। इस संबंध में मिलिटरी छावनी की कार्यवाही को वर्षाकाल तक रोका जाये एवं वर्षाकाल के बाद दस्तावेज के आधार पर आग्र की कार्यवाही की जाये।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद, महाराष्ट्र के छावनी परिषद द्वारा उपरोक्त स्कूलों, चर्च एवं ईसाई समुदाय के घरों को गिराने की कार्यवाही रोकी जाये एवं वर्षाकाल के बाद दस्तावेज के आधार पर आगे के कार्यवाही की जाये।